

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग / MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE
कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क - जयपुर
OFFICE OF THE PR. COMMISSIONER, CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE - JAIPUR
मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर- 302005 (राज.)
HQ : NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR - 302005 (RAJ.)
फोन न. : 0141- 2385359
स्थापना शाखा
फैक्स नं. : 0141- 2385222

(DGHRD No. : DGHRD/AC-DC/298/2021)

स्थापना आदेश संख्या - 13/2021

दिनांक : 01.09.2021

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर के स्थापना आदेश संख्या 11/2021 दिनांक 12.08.2021 (DGHRD No. : DGHRD/AC-DC/261/2021) में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित उप/सहायक आयुक्तों को उनके नाम के आगे दर्शाये अनुसार कार्यभार तुरन्त प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रदान किये जाते हैं :-

S.No.	NAME OF THE OFFICER(Sh./Ms.)	PRESENT CHARGE	PROPOSED CHARGE
01.	NISHANT TOMAR, DC (9309)	HQRS: TECHNICAL, STATS, RTI, ADJUDICATION, REVIEW, ADMIN, LEGAL & CERA (AUDIT)	HQRS: AE, P&V, ADMIN, IT & COMPUTER, DGARM, WORK OF E-OFFICE
02.	RAMESHWAR PRASAD MEENA, AC (9506)	CGST & CX, DIV-I, JAIPUR	CGST & CX, DIV-I, JAIPUR WITH ADDL. CHARGE OF CGST & CX, DIV-H JAIPUR
03.	JAYARAJ T, AC (10055)	UOT TO CGST & CX-H, JAIPUR	HQRS: TECHNICAL, STATS, RTI, ADJUDICATION, REVIEW, LEGAL & CERA (AUDIT)

साथ ही लेख है कि श्री मोहर सिंह जैफ, सहायक आयुक्त के कार्यभार ग्रहण करने तक उनका कार्यभार श्री निशांत तोमर, उपायुक्त के द्वारा देखा जायेगा।

उक्त आदेश श्रीमान प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर की संस्वीकृति पश्चात जारी किया जा रहा है।

नोट : आयुक्तालय से स्थानान्तरित उप/सहायक आयुक्तों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे कार्य का उचित ढंग से Hand over/Taken over करें एवं लम्बित महत्वपूर्ण मामलों की सूची भी अपने अनुवर्ती अधिकारी को सौंपे जिसकी एक प्रति सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी को भी प्रेषित करें।

— ६. —
(शशि पंवार)

संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.)

दिनांक : 01.09.2021

फा.सं.: II-03(08)स्था./जेपीआर/2017/11076

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अतिरिक्त सहायक निदेशक, डी.जी.एच.आर.डी., 409/8, दीपशिखा, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 को उनके पत्र फा.सं. 8/DB/1/HRD(HRM-II)/2020 दिनांक 01.09.2021 के क्रम में।
2. निजी सचिव, मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर।
4. संयुक्त/अपर आयुक्त(का. एवं सत./तक0/विधि), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयु0, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु., जयपुर।
6. उप/सहायक आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, संभाग-A से I, जयपुर एवं J से K, अजमेर।
7. व्यक्तिगत प्रति/सेवापुस्तिका/गार्ड फाइल
8. विभागीय वेबसाईट <https://cgstjaipur.gov.in/> पर अपलोड हेतु।

शशि पंवार
01/09/21